

प्रेषक :
उपनगर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

श्री/श्रीमती सुखल कुमारी 5/0 250 3/ कस्तुरी लाल
11 ईस्ट वेस्ट - पूर्व
रोहतास दिनांक 6/8/16

पत्रावली सं0 - ए-ए-263/1617

विषय : नगर निगम एक्ट 1959 की धारा 213 (ख) के अन्तर्गत नामान्तरण की सूचना।

प्रिय महोदय/महोदया,


आपको सूचित किया जाता है कि भवन सं0 58/26
जो ईस्ट वेस्ट - पूर्व-II मोहल्ला, /मार्ग देहरादून

पर स्थित है व वर्तमान में श्री/श्रीमती सुखल कुमारी 5/0 250 3/ कस्तुरी लाल के
नाम अंकित है तो विक्रय पत्र/दान पत्र/परिवारिक बंटवारा पत्र/वसीयत पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/ न्यायालय निर्णय/पट्टा कार्रवाई नं0.0.
अभिलेख के आधार पर श्री/श्रीमती सुखल कुमारी 5/0 250 3/ कस्तुरी लाल के नाम पर नामान्तरण
किया जा रहा है।

अतः एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नाम इस सूचना की प्राप्ति के एक माह बाद कर निर्धारण सूची में परिवर्धन/परिवर्तित कर दिया जायेगा। यदि आपको अथवा किसी व्यक्ति को इस परिवर्धन/परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई वैधानिक आपत्ति हो तो उपर्युक्त अवधि बीत जाने से पूर्व लिखित रूप से नगर निगम में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा उक्त विषय पर एक पक्षीय निर्णय दे दिया जायेगा जो मान्य होगा।

कार्यालय द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि आपने भवन कर अधिनियम 5 तथा 6 के अन्तर्गत तीन माह की अवधि में उक्त सम्पत्ति के नामान्तरण की सूचना इस कार्यालय में नहीं दी।

अतः एक सप्ताह की अवधि में स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही की जाय। यदि आप इस कार्यालय में अपना कस कम्पाउन्ड करना चाहें तो प्रार्थना-पत्र देकर इस कस को कम्पाउन्ड करवा सकते हैं, अन्यथा कस कोर्ट में भेज दिया जायेगा।
सम्पत्ति सम्बन्ध पर आगोशत प्रस्ताव है,

भवदीय

उपनगर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून



कार्यालय नगर निगम देहरादून

दूरभाष-0135-2655620, 265352, 2658204
फैक्स-0135-2651061

वेबसाइट-www.nagarnigamdehradun.com

ई-मेल: nagar_nigam2008@yahoo.com

टोल फ्री नं० 18001804153



JnNURM
City

पत्राक- D-11-263/1617

दिनांक-14.9.16

प्रेषक

कर अधीक्षक
नगर निगम देहरादून

प्रेषित

श्री / श्रीमती सुखी कुमारी
5/0 बलरुडी कस्तुरी लाल
11, बस स्टेशन पूर्व-II
देहरादून,

विषय- सम्पत्ति सं० 50/3 बस स्टेशन पूर्व-II सम्पूर्ण/भाग का नामान्तरण।

महोदय,

उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण/भाग को अपने नाम अंकित करवाने हेतु आप द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र, लीज पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, उपहार पत्र, अधिकार मुक्ति पत्र, वसीयत पत्र, वारिसान पत्र, न्यायलय निर्णय, पारिवारिक बंटवारा पत्र, तथा मा० नगर प्रमुख/कार्यकारिणी समिति के आदेश दिनांक 14.9.16 के अनुसार नामान्तरण, अनापत्ति/आपत्ति रजिस्टर 04 के पृष्ठ सं० 218 क्र०स० 14 के आधार पर उक्त सम्पत्ति निगम अभिलेखों में आप के नाम अंकित कर दी गयी है जो निम्न प्रकार है।

सम्पूर्ण सम्पत्ति पत्र नं० 1101 किमा अपा

नोट- नगर निगम द्वारा नामान्तरण केवल कर वसूली हेतु ही किया जाता है।

भवदीय

[Signature]
कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून
नगर निगम देहरादून।

स्वास्थ्य विभाग
नगर निगम
देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार
मृत्यु प्रमाण पत्र

प्रपत्र सं० 6
(नियम-8 देखिये)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2003 की धारा 13
के भाग 1-2 के अन्तर्गत जारी किया गया है

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है।
जो उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जिले के देहरादून तहसील के नगर निगम, देहरादून
के रजिस्टर में है।

नाम	कमला देवी	राष्ट्रीयता	भारतीय
लिंग	स्त्री	रजिस्ट्रीकरण संख्या	D20150100071
मृत्यु का स्थान	11, रेस्ट कैम्प ईस्ट-2, देहरादून	रजिस्ट्रीकरण दिनांक	06-01-2015
		स्थायी पता	11, रेस्ट कैम्प ईस्ट-2, देहरादून

मृत्यु की दिनांक 12-12-2014
पिता/पति का नाम कस्तूरी लाल

दिनांक Wednesday, January 07, 2015

Registrar (Birth & Death)
Nagar Nigam, Dehradun
(UTTARAKHAND) INDIA



नगर निगम, देहरादून।

पत्रावली संख्या

क्रमांक

नामान्तरण आवेदन प्रपत्र

(नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 213 के अन्तर्गत नामान्तरण हेतु वांछित सूचना)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

श्री श्री कस्तूरी लाल

आवेदक का नाम

कृष्ण कुमार

आवेदक का पता

11 रेड्ज कम्प्लेक्स, देहरादून

सम्पत्ति जिसका नामान्तरण वांछित है, का नाम

11 रेड्ज कम्प्लेक्स

सम्पत्ति जिसका नामान्तरण वांछित है, का विवरण

भूखण्ड का क्षेत्रफल

आन्तरिक क्षेत्रफल (Carpet area)

नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति से सम्बन्धित यदि किसी न्यायालय में कोई दाद लम्बित हो तो सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए उसका विवरण दे

नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति पर या उसके किसी भाग पर राज्य / केन्द्र सरकार का किसी प्रकार का अधिग्रहण हो

तो उसका विवरण दे

नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति का प्रयोग

- आवासीय है
- अनावासीय है
- आवासीय एवं अनावासीय दोनों

(आवासीय)

8. निम्नलिखित बिन्दु (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) में से जिस बिन्दु के आधार पर नामान्तरण वांछित है उसके अन्तर्गत वांछित विवरण नरे, शेष के समक्ष लागू नहीं लिखें

(1) विक्रय पत्र / दान पत्र / पट्टा विलेख -

(क) विक्रय पत्र/दान पत्र / पट्टा

नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री पता

{यदि विक्रेता / दानकर्ता/पट्टाकर्ता का नाम निगम अभिलेखों में नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति के स्वामी के रूप में दर्ज न हो तो निगम अभिलेख में सम्पत्ति के स्वामी के रूप में दर्ज व्यक्ति से आवेदित सम्पत्ति के विक्रेता /दानकर्ता/पट्टाकर्ता को प्राप्त विक्रय/दान/पट्टा करने के अधिकार से सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।}

(ख) उस व्यक्ति सत्या का विवरण जिसके पक्ष में विक्रय / दान/ पट्टा / सम्पत्ति किया गया है।

नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री पता

(ग) विक्रय पत्र / दानपत्र / पट्टा विलेख की पंजीकरण सं० दे०

(घ) सम्पत्ति का विक्रय मूल्य रु०

(ii) वर्तमान सम्पत्ति स्वामी की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार के आधार पर :-

(क) क्या मृतक / मृतका का नाम निगम अभिलेखों के रूप में सम्पत्ति स्वामी के रूप में दर्ज है? हाँ/ नहीं

{यदि नहीं तो मृतक/मृतका की जिन आधारों पर आवेदित का स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुआ हो उससे सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।}

(ख) सम्पत्ति जिनके नाम स्वामी के रूप में नामान्तरित की जानी है उनका विवरण

नाम मृतक/मृतका से सम्बन्ध

कृष्ण कुमार

पता

उपरोक्त वर्णित नाम/नामों के अतिरिक्त मृतक/मृतका का यदि कोई अन्य देय वारिस हो तो उसका विवरण

नाम मृतक/मृतका से सम्बन्ध

पता

(iii) दस्तावेज के आधार पर-

घ उनीचत यदि पंजीकृत हो तो पंजीकरण सं० दिनांक

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

पता 11 रेड्ज कम्प्लेक्स, देहरादून

- (घ) क्या उपरोक्त वर्णित वसीयत / हिवेनामा मृतक / मृतका की अन्तिम वसीयत / हिवेनामा है? हाँ/नहीं
- (छ) क्या सम्पत्ति हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF) सम्बन्धित है यदि हाँ तो निम्न का विवरण दें। कर्ता का नाम पता/पति का नाम
 मृतक / मृतका से सम्बन्ध पता
 (उस प्रस्ताव की सत्यापित प्रति संलग्न करें जिसके द्वारा उपरोक्त को कर्ता नियुक्त किया गया हो अन्यथा शपथ पत्र पर कर्ता नियुक्त किये जाने का उल्लेख करते हुए परिवार के सभी सदस्यों की अनापत्ति दें।
- (ज) यदि कोई अन्य विवरण हो तो उसका उल्लेख करें

नोट :- बिन्दु (ii) के अन्तर्गत दी गई समस्त जानकारी को निर्धारित स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र के रूप में भी दें।
 (iv) पारिवारिक बंटवारे के आधार पर

(क) पारिवारिक बंटवारा

सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत है
 अनुबन्ध के रूप में पजीकृत

(जो लागू हो उसके समक्ष / निशान लगायें शेष के समक्ष X निशान लगायें।)

- {नोट: बंटवारे से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति भी संलग्न करें।
 (ख) बंटवारे के अनुसार जिनके पक्ष में स्वामी के रूप में नामान्तरण होना है उनका विवरण

नाम	पिता/पति का नाम	पता
-----	-----------------	-----

- (ग) बिन्दु (ख) के अन्तर्गत दिये गये नामों के अतिरिक्त नामान्तरण हेतु आवेदित की गई सम्पत्ति का यदि कोई अन्य वैध वारिस हो तो उनका विवरण दें।

नाम	पिता/पति का नाम	पता
-----	-----------------	-----

(उपरोक्त की अनापत्ति भी संलग्न करें)

(घ) (बंटवारे के गवाहों का विवरण दें)

नाम	पिता/पति का नाम	पता
-----	-----------------	-----

(IV) न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर

(क) आदेश किस न्यायालय द्वारा किया गया है

(ख) आदेश का दिनांक

(आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

(ग) उपरोक्त आदेश के विरुद्ध यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्दगन आदेश पारित किया गया हो तो विवरण आदेश के दिनांक सहित दें

(घ) न्यायालय आदेशानुसार जिनका नाम निगम अभिलेखों में सम्पत्ति स्वामी / किरायेदार/कब्जेदार के रूप में दर्ज किया जाना उसका विवरण दें।

नाम	पिता/पति का नाम	पता
-----	-----------------	-----

(V) नीलामी के आधार पर

(क) उस व्यक्ति/संस्था विभाग का विवरण दें जिसकी सम्पत्ति देनदार होने के कारण नीलाम करायी गयी।

नाम	पिता/पति का नाम	पता
-----	-----------------	-----

1.

2.

3.

(ख) उस व्यक्ति / संस्था / विभाग का विवरण दें जिसको सम्पत्ति नीलामी की गयी।

नाम	पिता/पति का नाम	पता
-----	-----------------	-----

(यदि उपरोक्त का नाम निगम अभिलेखों में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी के रूप में दर्ज न हो तो निगम अभिलेखों में नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति के स्वामी के रूप में वर्तमान में दर्ज स्वामी से बिन्दु (क) में वर्णित व्यक्ति को प्राप्त स्वामित्व अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

(घ) नीलामी किसी प्राधिकरण द्वारा सत्यापित करवायी गयी

(नीलामी सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

(ड) क्या नीलामी में प्राप्त सम्पत्ति को सक्षम प्राधिकरण से पंजीकरण करवा लिया गया है। विवरण दें।

प्राधिकरण का नाम

पंजीकरण संख्या

पंजीकरण का दिनांक

नीलामी का दिनांक

(घ) यदि उपरोक्त नीलामी के विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आवेदन पारित किया गया हो तो उसका विवरण स्थगनादेश के दिनांक सहित विवरण दें।

(सम्बन्धित समस्त स्थगनादेश के दिनांक सहित विवरण दें।

(vi) सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के आधार पर

(क) वर्तमान सम्पत्ति स्वामी का विवरण जिससे सरकार द्वारा सम्पत्ति अधिग्रहित की गई।

नाम

पिता/पति का नाम

पता

(यदि उपरोक्त का नाम निगम अभिलेखों में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी के रूप में दर्ज न हो तो नामान्तरण हेतु आवेदित की गई सम्पत्ति के स्वामी के रूप में नगर निगम अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति से बिन्दु (क) में वर्णित व्यक्ति को प्राप्त स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

घोषणा

मैं कृष्णकुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री कल्लु मल्ल निवासी ॥ २६२ कृष्ण ३३२ ५१ ६०३६ घोषणा करता/करती हूँ कि प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य / सूचना मेरी जानकारी एवं दस्तावेजों के अनुसार पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना/तथ्यों में किसी प्रकार के असत्यता पायी जाये तो नगर निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वे एकपक्षीय रूप से उपरोक्त सूचना / तथ्यों के आधार किये गये नामान्तरण को निरस्त कर दें।

Krishan Kumar

आवेदक के हस्ताक्षर

अथवा

बायें हाथ के अंगूठे का

दिनांक 18-3-16

स्थान देहरादून

संलग्नकों का विवरण


निशान

दूरभाष संख्या 9897885066

Email

आवेदन के साथ संलग्नक:-

- (1) हस्तान्तरण का अधार अभिलेख (विक्रय पत्र/दान पत्र/ पट्टा विलेख/वसीयत/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र)
- (2) शपथ पत्र :-
- (3) प्रकाशन शुल्क :- (₹) 150
- (4) वर्तमान समय के भवनकर के बिल / रसीद की छायाप्रति।
- (5) विलम्ब शुल्क प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व जमा करना होगा।



स्वामे

उपनगर अधिकारी

नगरनिगम देहरादून

महोदय

निवेदन है कि मेरी माता स्व० कमला देवी का देहांत
12-12-84 को हो गया वे सम्पत्ति ॥ ईस्ट वेस्ट कैम्प देहरादूनकी
स्वामी थी मृतका के परिवार मे निम्न वारिस है।

प्राची कृष्ण कुमार

2- सरिता बहल पत्नि श्री संजय बहल निवासी यू०जी०७ टावर
9 पंचशील प्रीमरोस हापुड़ रोड गाजियाबाद

3- मंजीत गुराल पत्नि श्री रोगमलरल बी-104

लोखस पोन्ड वैष्णव अंड ईदिरपुरी गाजियाबाद

4- नीलम राधवा पत्नि कुल भूष्या वाधवा 28/4 सैकिन्ड फ्लोर

शर्बत नगर नागिया पार्क दिल्ली

5- चंसल परी पत्नि रमेश कुमार पुरी जी०२०२ माया गार्डन
पेज-३ वी आईपी रोड जिरकपुर।

अन्य कोई वारिस नहीं है तथा हमारे सतिता स्व०
कस्तुरी लरल का पुर्व मे ही देहांत हो गया है। सम्पति मेरे नाम पर
नामोंतरणकरना न्यायोचित है।

प्राची

Krishan Kumar

कृष्ण कुमार

॥ ईस्ट कैम्प पूर्व देहरादून

5-2-16

भारतीय गैर न्यायिक

दस

TEN
RUPEES

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

27AA 450598

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

समक्ष उपनगर अधिकारी नगर निगम देहरादून

कोषाधिकारी (नकल)

कोड जयपुर

22 JAN 2016

समर्थक कृष्ण कुमार पुत्र स्व० कस्तुरीलाल

निवासी

जिला देहरादून

॥ रैस्ट कैम्प ईस्ट देहरादून



१- यह कि मेरा नाम व पता सही है।

२- यह कि मेरी माता स्व० श्रीमति कमला देवी सम्पत्ति ॥ रैस्ट कैम्प

ईस्ट देहरादूनकी स्वामी थी जिनका देहांत दिनों 12-12-2014 को हो

गया है तथा मेरी बहनो के अनापत्ति संलग्न है। मेरे पिता का पूर्व मे ही

देहांत होगया है। सम्पत्ति मेरे नाम पर नामांतरण किया

जाना न्यायोचित है।

Krishan Kumar

मैं उपरोक्त समर्थक आज दिनांक 5-2-16 को

ATTESTED

(P. PRAKASH SINGH)
Advocate & NOTARY
Dehradun

देहरादून में पृष्टि करता हूं कि समर्थक सही है।

5/2/16

Krishan Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

सखी उपनगर अधिकारी नगर निगम देहरादून

27AA 791048

अधिकारी (सखी)
कोड संख्या 5800

22 JAN 2016

जिला अधिकारी (उत्तराखण्ड)

अधिकाता चंचल परी पतिन श्री रमेश कुमार परी

निवासी जी-202 माया गार्डन फेज-3 वीआ डी रोड जिरकपुरा

1- यह कि मेरा नाम व पता सही है।

2- यह कि अधिकाताकी माता स्व० श्रीमति कमला पतिन स्व० कस्तुरी

लाल का देहांत दिनांक 12-12-2014 को होगया है मेरी माता

संपति 11-ब्लू रैस्ट कैम्प देहरादून की स्वामीधी उपरोक्त संपति

मेरे भाई कृष्ण कुमार केनाम पर दर्ज करने मे मुझे आपत्ति नहीं है।

मेरे पिता का पूर्व ही देहांत होगया है।

Chanchal Puri
अधिकाता

मे उपरोक्त अधिकाता आज दिनांक 5-2-16 को देहरादून मे

पुष्टिकरता हूँ कि अधिकाता सही है।

Chanchal Puri

===

NOTARY
Handwritten signature and stamp

भारतीय गैर न्यायिक

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

27AA 791047

समक्ष उपनगर अधिकारी नगर निगम देहरादून

नियोधिकाारी (रुइकी)
कोड संख्या 5500

शमश्रुता मनजीत गुजराब पतिन श्री रोशनलाल गुजाल

22 JAN 2016

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

निवासी बी-1/104 लोटस पोन्डवेम्ब खं ईदिरापुरम गाजियाबाद

यह कि मेरा नाम व पता सही है।

यह कि शमश्रुता की माता स्व० श्रीमति कमला देवी पतिन स्व०

कस्तूरी लाल का देहांत दिनांक 12-12-2014 को हो गया है तथा

मेरे पिता का पहले ही देहांत हो गया है।

उपरोक्त माता सम्पति से 11 ईस्ट रैस्टकैम्प देहरादून की स्वामी ।

उपरोक्त सम्पति हमारे भंडई श्री कृष्णमारेदेनाम पर नामांतरण

करने मे कोई आपत्ति नहीं है।

Manjit Goyal

शमश्रुता

मे उपरोक्त शमश्रुताभार्जादिनांक 5-2-16को देहरादून

मे पुष्टि करता हूं कि शमश्रुत सही है।

Manjit Goyal


===



भारतीय गैर न्यायिक

TEN RUPEES

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

समक्ष उपनगर अधिकारी नगर निगम देहरादून

27AA 791046

मोलाधिकाथी (रुड़की)
कोड संख्या 5500

शमश्रुती सरिता बहल पतिन संजय

बहल 22 JAN 2015



निवासी यूजी 07 टावर 0 पंचशील प्रीमरोज हाफ्ड - मन्जिवाबादउप

यह कि मेरा नाम व पता सही है।

यह कि शमश्रुती की माता स्व० श्रीमति कमला देवी पतिन स्व०

कस्तुरी लाल का देहांत दिनांक 12-12-2014 को हो गया है तथा मेरे पिता स्व० कस्तुरी लाल का पूर्व में ही निधन हो गया है तथा उपरोक्त माता सम्पति से 11 ईस्ट रैस्टकैम्प देहरादून की स्वामी थी

उपरोक्त सम्पति हमारे भण्डई श्री कृष्णमारेके नाम पर नामांतरण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

Santa Bahal
शमश्रुती

ATTESTED

मैं उपरोक्त शमश्रुती आज दिनांक 5-2-16 को देहरादून में पृष्ठित करता हूँ कि शमश्रुती सही है।


Santa Bahal

TRADE MARK
GATEWAY TO THE
INDIAN MARKET
MADE IN INDIA

भारतीय गैर न्यायिक

TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

27AA 791051

समक्ष उपनगर अधिकारी नगर निगम देहरादून

शय्यकर्ता नीलम बाधवा पति कुलभूषण बाधवा

कोषाधिकारी (रुइकी)
कोड संख्या 5500
22 JAN 2016
विकासी संख्या 11-0007

निवासी 28/4 सेकण्ड फ्लोर शक्तिनगर बागिया

1-यह कि मेरा नाम व पता सही है।

2- यह कि शय्यकर्ताकी माता स्व० श्रीमति कमला पति स्व० कस्तुरी लाल का देहांत दिनांक 12-12-2014 को होगया है मेरी माता

सम्पति 11-इस्ट रैस्ट कैम्प देहरादून की स्वामीधी उपरोक्त सम्पति

मेरे भाई कृष्ण कुमार के नाम पर दर्ज करने मे मझे आपत्ति नहीं है। मेरे पिता का पूर्व मे ही निधन हो गया है।
Neelam Wadhwa
शय्यकर्ता

मे उपरोक्त शय्यकर्ता आज दिनांक 5-2-16 को देहरादून मे

गवाह प्रमाणित करता हं कि शय्यकर्ता सही है।

===

Neelam Wadhwa

